ग्राम पंचायत शमरोड, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत शमरोड, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती शकुन्तला देवी	1.4.14 से 22.1.15
2	श्रीमती प्रतिभा	23.1.15 से 31.3.17

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री हरिदास	1.4.14 से 23.8.16
2	श्री हेमेन्द्र शर्मा	24.8.16 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत शमरोड, जिला सोलन के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	3.27
2	7	वित्तीय नियमों की अवहेलना	–
3	11	अनुदान राशियों का अवरोधन	0.10
4	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	11.42

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत शमरोड, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 25.5.17 से 7.6.17 तक ग्राम पंचायत शमरोड के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 09/2014, 03/2016, 12/2016 व 11/2014, 12/2015, 03/2017 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत शमरोड, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 38 दिनांक 6.6.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत शमरोड से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत शमरोड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4. 2014 से 31.3.2017 के लेखओां की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

4.1 स्वः स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत शमरोड के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्वः स्त्रोतों (खाता क) की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हे जिसका विस्तृत विवरण संलगन **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	61741	124143	185884	36855	149029
2015–16	149029	337746	486775	87237	399538
2016–17	399538	86627	486165	52446	433719

4.2 अनुदान

ग्राम पंचायत शमरोड के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता–ख) का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 तथा 2** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	399958	3057002	3456960	2531493	925467
2015–16	925467	3356559	4282026	2600946	1681080
2016–17	1681080	594084	2275164	1275536	999628

5 बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत शमरोड का अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः–

(क) दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही के अनुसार शेषः–

स्वयं स्त्रोत	433719
अनुदान	999628
योग	1433347
(ख) दिनांक 31.3.2017 को बैंक पास बुक के अनुसार शेष खातों के अनुसार	1759605.11
(परिशिष्ट–3)	
हस्तगत राशि	594.00
योग	1760199.11
अन्तर (क–ख)	326852.11

6 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹3.27 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत शमरोड द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 क नियम 7(3) व 10 (1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹326852 का अन्तर बैंक खातो में अधिक शेष के रूप में है।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

7.1 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत शमरोड की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत शमरोड के लेखों की जाँच में रोकड़ बही लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत शमरोड में रोकड़ बही के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय व एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत शमरोड द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकाड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

8 निर्धारित सीमा से अधिक राशि रखनाः–

पंचायत की रेाकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। प्रत्येक आय की प्रविष्टि को बैंक में

जमा करवाया जाना अपेक्षित है तथा व्यय चैक/RTGS द्वारा ही किया जाना है। केवल Imprest की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	राशि (₹ में)
1	13.5.14	1685
2	8.6.14	1775
3	11.6.14	2174
4	21.6.14	2224
5	25.6.14	2234
6	26.6.14	2394
7	27.6.14	2564
8	11.7.14	2674
9	15.8.14	2064
10	5.9.14	1869
11	28.10.14	1609
12	15.11.14	1879
13	10.12.14	1809
14	2.1.15	2933
15	11.3.15	1598

9 **निवेशः–** ग्राम पंचायत शमरोड द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा में निवेश नहीं किया गया था।

10 **बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गय कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

11 **अनुदान ₹0.10 लाख का अवरोधनः–**

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹999628 उपयोग हेतु शेष थी। यदि इन्हीं परिशिष्टो में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह

स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अवरोधित अनुदान राशियों की मात्रा प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। जहां 31.3.2015 को यह ₹925467 थी वहीं 31.3.17 तक यह बढ़कर ₹999628 हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उकत राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹11.42 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹11.42 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदाओं द्वारा किया गया है परन्तु नियमानुसार निविदा सम्बन्धी अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई है जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः'–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1 स्टॉक रजिस्टर

2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर

3 जल प्रभार रजिस्टर

4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धिज रजिस्टर

5 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर

6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

7 गृहकर वसूली रजिस्टर

8 डाक टिकट रजिस्टर

9 निर्माण कार्यो का रजिस्टर इत्यादि

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमितताएँः–

15.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत शमरोड द्वारा नहीं की जा रही है।

15.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर बिक्रीकर, लेबर सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

15.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत शमरोड में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम के विरूद्ध की गई कार्यवही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतम नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं के रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 23/2017–खण्ड–1–7134–7137 दिनाँक 07.12.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत शमरोड, विकास खण्ड सोलन, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सोलन तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881